रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1726] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 1726] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015 /SRAVANA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

का.आ. 2227(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2106 (अ), तारीख 8 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खण्ड 3, उपखण्ड (पप) में तारीख 8 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

1) जिला ''पाली'' से संबंधित कॉलम 4 के सामने, तालुक ''जैतारण'' से संबंधित 'कॉलम (5) के सामने, कॉलम (7) में, प्रविष्टि ''(13) चावण्डिया'' के पश्चात्, प्रविष्टि ''(14) रतनपुरा'' और ''(15) चक पातूस'' अंतःस्थापित की जाएगी ।

[फा.सं. 22011/एजेएम/14/एलजेआर/एलए]

माया प्रकाष, निदेषक

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना का.आ. 2106 (अ), तारीख 8 सितम्बर, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii) में, तारीख 8 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th August, 2015

S.O. 2227 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2106 (E) dated the 08th September, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 08th September, 2012, namely:—

In the Schedule to the said notification,

1) Against Column 4 relating to District Pali, against column (5) related to Taluk "Jaitaran", under column (7), after the entry "(13) Chawandiya" the entry "(14) Ratanpura" and "(15) Chak Patus" shall be inserted.

[F.No. 22011/Ajm/14/LJR/LA]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:-The principal Notification was published vide S.O. 2106, dated 8th September, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th September, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.